न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः— प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्याः— 72/2020
जीसीएमएस नंबरः— 2020/00142

प्रार्थीगणः—

1. दुर्गाराम पुत्र स्व. श्री लादूराम, उम्र 70 वर्ष
2. किशनसिंह पुत्र स्व. श्री अचलूराम, उम्र 65 वर्ष
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री अचलूराम, उम्र 55 वर्ष
   सभी जाति गहलोत माली निवासी ओरियाला बेरा, नारायण सागर मण्डार, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः—

1. भीखाराम पुत्र स्व. श्री खेताराम
2. मगाराम पुत्र स्व. श्री खेताराम
3. नेनूराम पुत्र स्व. श्री खेताराम
   सभी जाति गहलोत माली निवासी ओरियाला बेरा, नारायण सागर मण्डोर, जोधपुर।
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी

—::आदेश::— दिनांकः— 01.09.2025

उपस्थितिः— 1. श्री लादूराम पूनिया, श्री रघुनाथ विश्नोई अधिवक्तागण प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री एल.एल शर्मा अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 की ओर से।
3. तहसीलदार जोधपुर अप्रार्थी सं. 4 की ओर से।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के पिता/दादा स्व. लादूराम तथा अप्रार्थी सं. 1 से 3 के पिता खेता की एवं अन्य खातेदारों की सामलाती खातेदारों की भूमि ग्राम मण्डोर द्वितीय में भूमि खसरा सं. 345 से 354, 358 से 361, 363, 363/1, 363/2, 364, 365, 367 से 376, 380 से 386, 386/1, 386/2, 1984/374, 1986/375 कुल खसरा 40 कुल रकबा 78 बीघा 18 बिस्वा आई हुई है। जिसके 1/4 हिस्से के खातेदार उक्त खेता व लादू पुत्र घमण्डा शुरू से दर्ज खातेदार है। उक्त खेता व लादू पुत्र घमण्डा का नाम खतौनी संवत 2031 में बराबर दर्ज होता आया है। संवत् 2031 में उक्त खेता पुत्र घमण्डा फौत हो गए तब नामा. सं. 153 से 155 खेता के वारिस अप्रार्थी भीखाराम, मांगाराम, नैनाराम के नाम खोला गया तथा प्रार्थीगण के पूर्वज लादू का नाम बदस्तूर रखा परंतु आगे की खतोनियों में लादू का नाम दर्ज करने से रह गया तथा केवल अप्रार्थी भीखाराम, मांगाराम, नैनाराम का नाम दर्ज होने लग गया तथा तब से लादू का नाम वर्तमान चालू खतौनी तक छुटा हुआ ही रह गया। जो गलती राजस्व अभिलेख को संधारण करते समय भूल से हुई है। लादूराम पुत्र घमण्डाराम का देहांत दिनांक 19.05.1987 को हो गया है तथा लादूराम जी के बड़े लडके अचलूराम का देहांत लादूराम से पहले दिनांक 27.05.1980 को ही हो गया। परंतु उपरोक्त त्रुटि के कारण मृतक खातेदार लादूराम के प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी प्रार्थीगण के नाम से नामा. होकर खातेदारी में नाम नहीं लिखा गया। उपरोक्त वर्णित भूमि के 1/4 हिस्से पर अप्रार्थी सं. 1 से 3 के साथ प्रार्थीगण भी काबिज है व नियमित रूप से काश्त करते आ रहे हैं तथा उक्त हिस्से से ही प्रार्थीगण के पूर्वज लादूराम का नाम दर्ज करने से छूट गया था, जिसको उक्त हिस्से में ही पुनः दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्ती करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मण्डोर द्वितीय के भूमि 345 से 354, 358 से 361 363, 363/1, 363/2, 364, 365, 367 से

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

376, 380 से 386, 386/1, 386/2, 1984/374, 1986/375 कुल खसरा 40 कुल रकबा 78 बीघा 18 बिस्वा पर खातेदार प्रार्थीगण के पूर्वज स्व. लादू पुत्र घमण्डा का छुटा हुआ नाम अप्रार्थी सं. 1 से 3 के साथ जोड़कर वर्तमान जमाबंदी खतौनी को दुरूस्त किए जाने का आदेश फरमावे तथा मृतक खातेदार लादू पुत्र घमण्डा के उत्तराधिकारी प्रार्थीगण के नाम से नामा. दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्त किए जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पद सं. 1 से 2 में वर्णित समस्त तथ्य सही होने से स्वीकार है तथा यह सही है कि प्रार्थीगण के पिता/दादा स्व. लादू तथा अप्रार्थी सं. 1 से 3 उत्तरदाता के पिता स्व. खेता दोनों सगे भाई थे। तथा ग्राम मण्डोर द्वितीय की भूमि खसरा सं. 345 से 354, 358 से 361, 363, 363/1, 363/2, 364, 365, 367 से 376, 380 से 386, 386/1, 386/2, 1984/374, 1986/375 कुल खसरा 40 रकबा 78 बीघा 18 बिस्वा सामलाती खातेदारी की होने तथा प्रार्थीगण इस भूमि से शुरू से 1/4 हिस्से पर अप्रार्थी सं. 1 से 3 के साथ कब्जा काश्त चला आ रहा होने की बात सही है व स्वीकार है। उक्त खेता व लादू पुत्र घमण्डा का नाम खतौनी संवत् 2031 तक बराबर–बराबर दर्ज होता आया है। संवत् 2031 में अप्रार्थी/उत्तरदाता के पिता खेता पुत्र घमण्डा के फौत होने पर नामा. सं. 153 से 155 खेता के स्थान पर अप्रार्थी भीखाराम, मगाराम, नेनाराम का नाम दर्ज किया, तथा प्रार्थीगण के पूर्वज लादू का नाम बदस्तुर लिखे जाने की इबारत लिखी गई लेकिन उक्त इबारत खतौनी में दर्ज नहीं हुई जो वर्तमान खतौनी में भी नहीं है यह गलती खतौनी संधारण करते समय गलती से प्रार्थीगण के पिता/दादा लादू का नाम आगे खतौनी में लिखने से छुट गया है। जिस तथ्य को अप्रार्थीगण स्वीकार करते हैं। उक्त रेकर्ड दुरूस्ती पर कोई आपत्ति नहीं है तथा अप्रार्थीगण रेकर्ड दुरूस्ती के लिए सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र के पद सं. 1 में वर्णित भूमि के 1/4 हिस्से पर प्रार्थीगण का नाम अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के साथ दर्ज करके वर्तमान जमाबंदी को दुरूस्त कर दर्ज किया जावे।

प्रकरण के तथ्यों एवं राजस्व रेकर्ड के संदर्भ में तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट ली गई। ग्राम मण्डोर पटवार हल्का मण्डोर–ा के खसरा सं. 358 व अन्य कुल 40 खसरे कुल रकबा 12.7720 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त चालू जमाबंदी में प्रार्थीगण दुर्गाराम वगै का नाम दर्ज नहीं है जबकि अप्रार्थीगण भीखाराम वगै. का नाम दर्ज है। ग्राम मण्डोर के नामा. सं. 153 में भोमा, चौथा, जगरूप, गोरधन, चुन्नीलाल, लाला, खेता, तेजा व जेठा फौत के स्थान पर उनके वारिसान के नाम दर्ज हुआ एवं लादू पि. घमण्डा का नाम बदस्तूर दर्ज रहा। उपरोक्त नामा. के बाद जमाबंदी चौसाला में लिपीकीय त्रुटि से लादू का नाम भी हटा दिया गया, जो आज दिनांक तक जमाबंदी में छूटा हुआ है। पटवार हल्का के पास उपलब्ध राजस्व रेकर्ड नामान्तरकरणों की जांच से भी ज्ञात होता है कि लादू के नाम का कोई परिवर्तन या नाम हस्तांतरण का नामान्तरकरण उक्त खसरों में नहीं है। नामा. सं. 153 में कॉलम सं. 05 में खेता, लादू पि. घमण्डा 1/4 दर्ज है एवं परिवर्तन इन्द्राज के कॉलम सं. 11 में भीकाराम, मगाराम, नेनाराम पि. खेताराम एवं लादू बदस्तूर दर्ज किया गया है। आगे रिपोर्ट में तहसीलदार जोधपुर ने कथन किया कि भू.अ. निरीक्षक मण्डोर की रिपोर्ट अनुसार लादू पि. घमण्डा का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में जोड़ा जाना नियमानुसार उचित है।

बहस उभयपक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस पूर्ण की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस एवं बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है उक्त चालू जमाबंदी में प्रार्थीगण दुर्गाराम वगै. का नाम दर्ज नहीं है जबकि अप्रार्थी भूखाराम वगै. का नाम दर्ज है ग्राम मण्डोर के नामा. सं.

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

153 में भोमा, चौथा, जगरूप, गोरधन, चुन्नीलाल, लाला, खेता, तेजा व जेठा फोत के स्थान पर उनके वारिसान के नाम दर्ज हुआ एवं लादू पि. घमण्डा का नाम बदस्तूर दर्ज रहा। नामा. सं. 153 में कॉलम सं. 05 मे खेता, लादू पि. घमण्डा 1/4 दर्ज है एवं परिवर्तन इन्द्राज के कॉलम सं. 11 में भीखाराम, मगाराम, नेनाराम पि खेताराम एवं लादू बदस्तूर दर्ज किया गया है। वादग्रस्त खसरान की भूमि पर खातेदार प्रार्थीगण के पूर्वज स्व. लादू पुत्र घमण्डा का छुटा हुआ नाम अप्रार्थी सं. 1 से 3 के साथ जोड़कर वर्तमान जमाबंदी खतौनी को दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है ग्राम मण्डोर द्वितीय के खसरा सं. 345 से 354, 358 से 361, 363, 363/1, 363/2, 364, 365, 367 से 376, 380 से 386, 386/1, 386/2, 1984/374, 1986/375 कुल खसरा 40 कुल रकबा 78 बीघा 18 बिस्वा पर खातेदार प्रार्थीगण के पूर्वज स्व. लादू पुत्र घमण्डा का छूटा हुआ नाम अप्रार्थी सं. 1 से 3 के साथ जोड़कर वर्तमान जमाबंदी को दुरूस्त किए जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिए जाते हैं। तहसीलदार जोधपुर उक्त आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

(प्रीतम कुमार) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 01.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)